

गूल चाद मे अन्तिम डिक्की
बमुकद मे ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीपीसीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 04/2024

आ. धारा 88/53 आर.टी.ए.

- दीनदयाल पुत्र चतरदास जाति वैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- दयाराम पुत्र चतरदास जाति वैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- विनोद कुमार चतरदास जाति वैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- तेजपाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- मजुनपाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

- सुमित्री स्वामी पुत्री चतरदास पत्नी अनिल कुमार जाति वैरागी निवासी चक 2 पीपी तहसील व जिला श्री गंगानगर
- कौशल्या पुत्री चतरदास पत्नी सोहनलाल जाति वैरागी निवासी चक 18 एलएलडब्ल्यू वी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़
- सन्तोष देवी पुत्री चतरदास पत्नी रामानन्द जाति वैरागी निवासी झुमियां वाली तहसील व जिला फाजिल्का
- विनोद कुमार पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- जवाहरा पुत्र रूडा जाति चुडा निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बिला पुत्र रूडा जाति हरिजन निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- माडा पुत्र रूडा जाति हरिजन निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- लिछमन पुत्र बिशना जाति हरिजन निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- सोहनलाल पुत्र रिडमलराम जाति मेघवाल निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया तहसील संगरिया
- तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6.2.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्की निम्नानुसार दी जाती है:-

- दीनदयाल पुत्र चतरदास जाति स्वामी सा. नगराना की कब्जा काश्त:-

चक 6 एनजीआर

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
170/220	22	3,8,13/0.253है. प्र 9/0.165है. 12/0.190है. कुल 1.114है.

- विनोदकुमार पुत्र चतरदास जाति स्वामी सा. नगराना की कब्जा काश्त:-

चक 6 एनजीआर

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
170/220	22	10/0.215है.
169/220	23	6,7,8/0.253है. प्र. 13/0.127है. 14/0.126है. 15/0.127है. पूर्व से पश्चिम उतर दिशा में कुल 1:354 है.

यक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी



3 दयाराम पुत्र चतरदास जाति स्वामी सा. नगराना की कब्जा काशत:-
चक 6 एनजीआर

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
169/220	23	13/0.126है. 14/0.127है. 15/0.126है. पूर्व से दक्षिण दिशा में 16,17,18/0.253है. प्र.
170/220	22	11/0.190है. 1.328है.

4. तेजपाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल सा. नगराना की कब्जा काशत:-
चक 6 एनजीआर

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
169/220	23	9,10,11,12/0.253है. प्र.
168/220	24	.14/0.127है. 15/0.126है. पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में कुल 1.265है.

5. भजनलाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल सा. नगराना की कब्जा काशत:-
चक 6 एनजीआर

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
168/220	24	6,7,8,9/0.253है. प्र. 12/0.127है. 13/0.126है. पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में कुल 1.265है.

6. विनोदकुमार पुत्र भूराराम जाति मेघवाल सा. नगराना की कब्जा काशत:-
चक 6 एनजीआर

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
168/220	24	12/0.126है 13/0.127है. 14/0.126है. 15/0.127है. पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में कुल 17,18,19/0.253है. प्र. कुल 1.265है.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3159 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....1.60/-.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6.2.2025.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड संगरिया
संगरिया